

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 534]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2022—आश्विन 7, शक 1944

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2022

मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री राजेश कुमार यादव (संयुक्त कलेक्टर), आवंटन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम, भोपाल सीमा क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government, hereby, appoints Shri Rajesh Kumar Yadav, (Joint Collector) Allotment Officer, Directorate of Estate, Bhopal as Competent Authority for the purpose of the said Act within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal with effect from the date of taking over charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, अपर सचिव.